निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

14 माघ 1941 (श0)
(सं0 पटना 96) पटना, सोमवार, 3 फरवरी 2020

बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद
विद्यापति मार्ग, पटना–800001

अधिसूचना
15 नवम्बर 2019

सं० 1543––श्री श्री 108 काली जी एवं दुर्गा जी मंदिर, ग्राम–खमेला जलकर, पत्रा0–झौवारी, थाना–अमौर, जिला–पूर्णियाँ पर्षद के तहत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है जिसकी निबंधन संख्या–4474 वर्ष 2017 है। इस न्यास में 01 एकड़ 11 डी0 जमीन है, जो लगभग 100 वर्ष पूर्व काली जी देवी मंदिर के लिए दान दी गयी थी। मंदिर के सुचारू प्रबंधन हेतु एक न्यास समिति का गठन अपेक्षित है। अतः मंदिर के सुचारू रूप से व्यवस्था हेतु न्यास समिति गठन के लिए पर्षदीय पत्रांक–792, दिनांक– 24.09.2018 द्वारा अंचल अधिकारी, अमौर, जिला–पूर्णियाँ से अधिकतम ग्यारह सज्जन लोगों के नामों की मांग की गयी, जिसके आलोक में अंचलाधिकारी, अमौर, जिला–पूर्णियाँ ने पत्रांक–89, दिनांक–16.01.2019 द्वारा 11 व्यक्तियों के नामों का प्रस्ताव पर्षद को उपलब्ध कराया । दिनांक–21.12.2018 को आयोजित आम सभा जिसमें लगभग 125 व्यक्यितयों के हस्ताक्षर उपस्थिति के संबंध में है, निर्णय लिया गया कि उक्त सभी 11 नामों की न्यास समिति बनायी जाए। उक्त नामों का चरित्र सत्यापन भी पुलिस, पूर्णियाँ द्वारा जारी किया गया था ।

अतः उपरोक्त परिस्थिति में अंचलाधिकारी, अमौर द्वारा प्रस्तावित नाम जिनका पुलिस अधीक्षक द्वारा चरित्र सत्यापन किया गया है, के आलोक में इस मंदिर और इसके सुप्रबंधन, परिसम्पत्तियों की सुरक्षा एवं अतिक्रमण मुक्त करने हेतु प्रस्तावित नामों की एक न्यास समिति के गठन का निर्णय लिया गया है।

अतः बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा–32 में बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद् को प्रदत्त अधिकार जो उपविधि सं0–43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए ''**श्री श्री 108 काली जी एवं दुर्गा जी मंदिर, ग्राम–खमेला जलकर, पत्रा0–झौवारी, थाना+अंचल–अमौर, जिला –पूर्णियाँ**'' की सम्पत्तियों की सुरक्षा संरक्षण तथा सुप्रबंधन हेतु नीचे लिखे योजना का निरूपण किया जाता है तथा इसे मूर्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति गठित की जाती है।

योजना

1. अधिनियम की धारा–32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम ''**श्री श्री 108 काली जी एवं दुर्गा जी मंदिर न्यास योजना**'' होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम '' **श्री श्री 108 काली जी एवं दुर्गा जी मंदिर, न्यास समिति,**'' होगी जिसमें न्यास की समग्र चल–अचल सम्पत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।

2. इस न्यास समिति का प्रमुख कर्त्तव्य न्यास की सम्पत्ति की सुरक्षा, विकास एवं सुसंचालन तथा मंदिर की परम्परा एवं आचारों के अनुकूल पूजा–पाठ एवं साधु–सेवा की समुचित व्यवस्था करना होगा।
3. न्यास की समस्त आय न्यास के नाम किसी **राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर** जमा किया जायेगा तथा सचिव और कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से इसका संचालन होगा।
4. न्यास समिति को यह भी निर्देश दिया जाता है कि **अंचलाधिकारी व थानाध्यक्ष के सहयोग से यदि कोई अतिक्रमण न्यास की जमीन पर हो तो, जमीन अतिक्रमण मुक्त कराये या उक्त जमीन पर व्यवसाय कर रहे व्यक्तियों से मासिक किराया निर्धारित करते हुए मासिक किराया वसुल** करें।
5. न्यास समिति अधिनियम एवं उप–विधि में वर्णित सभी नियमों का पालन करते हुए प्रतिवर्ष **न्यास के आय–व्यय की विवरणी, अंकेक्षित प्रतिवेदन, कार्य वृत एवं पर्षद शुल्क** आदि ससमय सम्यक रूप से पर्षद् को प्रेषित करेगी।
6. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहूत करेंगे। न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवश्य बुलायी जायेगी और बैठक की कार्यवृत पर्षद् को प्रेषित की जायेगी।
7. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवश्यक समझा जायेगा तो इस हेतु निर्धारित विशेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद् को अनुमोदन के लिए भेजेगी।
8. न्यास की आय–व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगा।
9. इस योजना में परिवर्तन, परिबर्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद् में निहित होगा।
10. न्यास समिति के किसी भी सदस्य/सेवायत को न्यास की अचल सम्पत्ति को बिक्री करने, बदलैन करने एवं तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिए किराया देने का कोई अधिकार नहीं होगा जबतक कि लिखित रूप में इस संबंध में पूर्व सहमति पर्षद से प्राप्त नही कर ली जाय। साथ ही न्यास समिति के सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास से लाभ उठाते पाए जायेंगे या न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाएगी।
11. न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप–पात्रित होंगे तो सदस्य बने रहने की उनकी अर्हता समाप्त हो जायेगी।
12. इस न्यास समिति का कार्यकाल पॉच वर्षो का होगा। एक वर्ष के बाद इसकी कार्यो की समीक्षा की जायेगी।

पर्षद् द्वारा निरूपित योजना को मूर्तरूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की न्यास समिति गठित की जाती है :–

1. श्री योगेन्द्र प्रसाद ठाकुर, पिता–स्व0 कलरू ठाकुर,	–	अध्यक्ष
2. श्री राजेन्द्र प्रसाद महालदार, पिता स्व0 नारायण महालदार	–	उपाध्यक्ष
3. श्री लक्ष्मण महालदार, पिता–स्व0 झरी लाल महालदार,	–	सचिव
4. श्री तेज नाराण विश्वास, पिता– स्व0 बासुदेव विश्वास,	–	कोषाध्यक्ष
5. श्री अनिल कुमार ठाकुर, पिता– हरिमोहन ठाकुर,	–	सदस्य
6. श्री शंकर महालदार, पिता–स्व0 बलदेव महालदार,	–	सदस्य
7. श्री मानिक यादव, पिता–जगेश्वर यादव,	–	सदस्य
8. श्री विदेशी महालदार, पिता– स्व0 डोमर महालदार,	–	सदस्य
9. श्री डोमर विश्वास, पिता– श्री पच्छु विश्वास,	–	सदस्य
10.श्री अनिल कुमार, पिता– श्री सदानन्द विश्वास,	–	सदस्य
11. श्री प्रदीप कुमार ठाकुर, पिता–श्री देवानन्द ठाकुर	–	सदस्य

सभी ग्राम–खमेला जलकर, पो0–झोवारी, थाना–अमौर, जिला–पूर्णियाँ।

आदेश से,
अखिलेश कुमार जैन,
अध्यक्ष।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 96-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in